मनरेगा कार्यक्रम – ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रगति का वाहक

डॉ. शैलेश कुमार

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारी–प्रबंधन विभाग, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांश : ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) 2005 को नाम बदल कर 2009 में 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' कर दिया गया। यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक समावेशी विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत् अभूतपूर्व रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना तथा हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक 100 दिन का रोजगार दिए जाने की गारंटी प्रदान करना है। यह योजना शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य है कि इसके तहत् टिकाऊ परिस्थिति का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाय, साथ ही रोजगार के अवसर लगातार पैदा होते रहें।

शब्द कुंजी : मनरेगा, अधिनियम, आजीविका, गरीबी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

प्रस्तावना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को तैयार करना और उसे क्रियान्वयन करना एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया है। इसका रोजगार और मांग को बनाया गया है जिसके कारण या पूर्व से इसी तरह के कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है अधिनियम के बेहतर पहलुओं में समयबद्ध रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रोत्साहित किया जाता है कि वह रोजगार प्रदान करने में कोताही ना बरतें क्योंकि रोजगार प्रदान करने के खर्च का 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र वहन करती है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया गया है कि रोजगार सहायक श्रम आधारित हो जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल ना हो। महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। जनता के प्रति उत्तरदायित्व सामाजिक लेखा–जोखा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का महत्वपूर्ण पक्ष है मनरेगा के संदर्भ में जो कार्य निरंतर सामाजिक निगरानी और परिवारों के पंजीकरण की जांच, जॉब कार्ड का वितरण, काम की दरखास्त देने वालों को रोजगार देना। योजनाओं की जानकारी, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कार्य निष्पादन और मास्टर रोल का का रखरखाव शामिल है।

मनरेगा कार्यक्रम

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया।
- ग्रामीण भारत क्यों शर्म की गरिमा से परिचित कराने वाला मनरेगा रोजगार कानून का रेट तेरे वाला विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं हैं।
- मनरेगा कार्यक्रम के तहत् प्रत्येक परिवार की और कुशल सलाम इच्छुक व्यस्त के लिए एक 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता (5 किलोमीटर पुरी की दशा में) का प्रावधान किया गया है।
- मनरेगा एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में पूर्णरूपेण शहरों की श्रेणी में आने वाले कुछ जिलों को छोड़कर देश के सभी जिले शामिल हैं। मनरेगा के तहत् मिलने वाले वेतन के निर्धारण का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार के पास है जनवरी 2009 से केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए अधिसूचना की गई मनरेगा मजदूरी दरों को प्रति वर्ष संशोधित करती हैं।

मनरेगा की प्रमुख विशेषताएं

पूर्व की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत मनरेगा के तहत् ग्रामीण परिवारों के व्यस्त युवाओं को रोजगार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। प्रावधान के मुताबिक मनरेगा लाभार्थियों में एक तिहाई महिला का होना अनिवार्य साथ ही विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मनरेगा के तहत् मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत् राज्य में खेतिहर मजदूरों के लिए निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार ही किया जाता केंद्र सरकार मजदूरी दर को अधिसूचना नहीं करती यह 60 रूपये प्रतिदिन से कम नहीं हो सकती। प्रावधान के अनुसार आवेदन जमा करने आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या जिस दिन से काम की मांग की जाती है आवेदन को रोजगार प्रदान किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को मनरेगा के तहत् किए जा रहे कार्यों के लिए जन क्रियान्वयन और निगरानी हेतु उत्तरदाई बनाया गया है। मनरेगा के सभी कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने का पानी और स्वास्थ्य चिकित्सा आदि के प्रावधान किए गए हैं। मनरेगा के तहत् आर्थिक बोझ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्वाह किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत् कुल तीन क्षेत्रों पर धन व्यय किया जाता है –

1. कुशल श्रमिकों की मजदूरी
2. आवश्यक सामग्री
3. प्रशासनिक लागत केंद्र सरकार की लागत का 100 प्रतिशत कुशल, अर्द्ध कुशल की लागत का 75 प्रतिशत सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत तथा प्रशासनिक लागत का 6 प्रतिशत वहन करती है, वहीं शेष लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

मनरेगा की उपलब्धियां

मनरेगा दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जिसमें ग्रामीण श्रम में एक सकारात्मक बदलाव को प्रेरित किया है। आंकड़ों के अनुसार कार्यक्रम के शुरुआती 10 वर्ष में कुल 3.14 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। ग्रामीण गरीबी को कम करने उद्देश्य की पूर्ति करते हुए यकीनन ग्रामीण क्षेत्र के लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है। आजीविका और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टिकोण से मनरेगा गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक सशक्त प्रावधान के रूप में सामने आया है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 में मनरेगा के माध्यम से उत्पन्न कुल रोजगार में 56 प्रतिशत महिलाएं होगी, ऐसा प्रावधान किया गया था। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2013–14 में मनरेगा के तहत् कार्यरत व्यक्तियों की संख्या लगभग 7.90 करोड़ थी जो कि वर्ष 2014–15 में घटकर 6.71 करोड़ रह गयी। किंतु उसके बाद यह बढ़कर क्रमशः वर्ष 2015–16 में 7.21 करोड़ तथा 2016–17 में 7.65 करोड़ हैं। मनरेगा में कार्यरत व्यक्तियों के आयु वार आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि 2016–17 में 18 से 30 वर्ष की आयु के श्रमिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मनरेगा ने आजीविका के अवसरों के सृजन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्थान में भी मदद की है। मनरेगा को 2015 में विश्व बैंक ने दुनिया के सबसे बड़े लोक निर्माण कार्यक्रम के रूप में मान्यता दी थी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च की रिपोर्ट में वह सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे मजदूर, आदिवासी, दलित एवं छोटे सीमांत कृषकों के बीच गरीबी कम करने में मनरेगा की भूमिका अहम रही है।

मनरेगा से संबंधित चुनौतियां

अपर्याप्त बजट आवंटन : पिछले कुछ वर्षों में मनरेगा के तहत् आवंटित बजट काफी कम रहा है, जिसका प्रभाव मनरेगा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन पर देखने को मिलता है। वेतन में कमी का प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रामीणों की शक्ति पर पड़ता है और वे अपनी मांग में कभी कर देते हैं।

मजदूरी के भुगतान में देरी : एक अध्ययन से पता चला है कि मनरेगा के तहत् किए जाने वाले 78 प्रतिशत भुगतान समय पर नहीं किए जाते और 45 प्रतिशत भुगतान में विलंब उपभोक्ताओं के लिए दिशा निर्देश के अनुसार मुआवजा शामिल नहीं था,जो अर्जित मजदूरी का 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन है। आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष दो हजार सोलह सत्रह में आदत मजदूरी 10,000 करोड़ रुपये थी।

खराब मजदूरी दर : पूरी अधिनियम 1948 के आधार पर मनरेगा की मजदूरी दर निर्धारित ना करने के कारण मजदूरी दर काफी हो गई है। वर्तमान में अधिकांश राज्यों में मनरेगा के तहत् मिलने वाली मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से काफी कम है यह कमजोर वर्गों को वैकल्पिक रोजगार तलाशने को विवश कर देता है।

मशीनों के बढ़ते प्रभाव के कारण : मशीनों के बढ़ते प्रभाव के कारण मनरेगा के तहत् किए जाने वाले कार्यों में मानव कार्य बल में काफी कमी आई है। साथ ही तरह–तरह के मशीनों के प्रयोग और कार्य अवधि का काम होना इस बात का प्रतीक है कि मनरेगा के तहत् कार्य कर रहे लोगों में दिन प्रतिदिन कमी आती जा रही है।

भ्रष्टाचार : 2012 में कर्नाटक में मनरेगा को लेकर एक घोटाला सामने आया था जिसमें तकरीबन 10 लाख फर्जी मनरेगा कार्ड बनाए गए थे। जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को तकरीबन 600 करोड़ का नुकसान हुआ था। भ्रष्टाचार मनरेगा से संबंधित एक बड़ी चुनौती है, जिसे निपटाना आवश्यक है। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि इसके तहत् आवंटित धन का अधिकतर हिस्सा मध्यस्थों के पास चला जाता है। ग्रामीण स्तर पर प्रधान मुखिया के द्वारा कई गड़बड़ियां की जाती है जॉब कार्ड के वितरण के दौरान जरुरतमंदों के अलावा अपने चहेते मजदूरों को जॉब कार्ड वितरण किया जाता है साथ ही साथ पता किए जा रहे कार्य पर कमीशन खोरी जैसे तमाम ऐसे पहलू हैं। जिस पर सरकार को आज विचार करने की अत्यंत आवश्यकता है।

सक्रिय जॉब कार्ड और श्रमिक : मनरेगा में फिलहाल 13.87 करोड़ जॉब कार्ड है। भारत में 55 प्रतिशत परिवार जॉब कार्ड धारी है। उत्तर प्रदेश में 1.85 करोड़, बिहार में 1.86 करोड़, पश्चिम बंगाल में 1.27 करोड़, गुजरात में 40.95 लाख, राजस्थान में 1.08 करोड़ और मध्यप्रदेश में 71.33 लाख परिवारों के पास जॉब कार्ड हैं। इनमें से 7.81 करोड़ (56 प्रतिशत) जॉबकार्ड धारी पिछले तीन साल में रोजगार योजना में श्रम करते रहे हैं। बिहार से सबसे ज्यादा पलायन होता है वहां एक 1.86 करोड़ जॉब कार्डधारी परिवारों में से केवल 54.12 लाख (29.1 प्रतिशत) ही सक्रिय है। छत्तीसगढ़ में 41.16 जॉबकार्ड धारी में से 33.41 करोड़ (81.2 प्रतिशत), मध्य प्रदेश में 71.33 लाख में से (52.58 प्रतिशत) पश्चिम बंगाल में 83.84 लाख जॉब कार्डधारी सक्रिय है।

निष्कर्ष

एक कल्याणकारी राज्य की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उस राज्य के सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। समग्र विकास की इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि कृषि संकट और आर्थिक मंदी के दौर में मनरेगा ग्रामीण किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए एक सुरक्षित कवच के रूप में कार्य कर रहा है। मौजूदा आर्थिक मंदी ने खास तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है और रोजगार के अवसर को काफी कम किया कर दिया है जिससे मनरेगा के तहत् मिलने वाले काम की मांग अचानक बढ़ गई है। जिसके कारण राज्यों के समक्ष बजट की चुनौती उत्पन्न हो गई है।

सुझाव

भारत एक विकासशील राष्ट्र है और बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को देखते हुए रोजगार सृजन करना सरकार के लिए दुष्कर साबित हो रहा है। एक अरब 30 करोड़ जनसंख्या वाले राष्ट्र में 60 प्रतिशत आबादी यूवा वर्गों की है जो आज बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। इस बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा नई–नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके बावजूद भी सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं इसमें अभी भी एक ठोस पहल की जरूरत है। इस परिपेक्ष्य में मनरेगा कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो रहा है।

1. मनरेगा एक अत्यंत लाभदायक योजना है। इसके माध्यम से और गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका क्षेत्र में जूझ रहे कमजोर वर्गों को रोजगार गारंटी के माध्यम से लाभ मिल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ वर्ग जो अत्यंत गरीबी से जूझ रहे हैं हुआ कहीं ना कहीं वंचित नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को जांच करानी चाहिए और इसमें दोषी पाए जाने वाले हर एक पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि को पर ठोस निर्णय लेना चाहिए।

2. मशीनों के प्रयोग– मशीनों के प्रयोग से देखा गया है कि जो काम साल भर तक श्रमिकों के श्रम के बदौलत चलने वाला होता है, वह मशीन के द्वारा चंद महीनों में ही निपटा लिया जाता है। अंतिम रिपोर्ट समर्पित करने के क्रम में श्रमिकों की भागीदारी दिखाई जाती है जो अत्यंत ही दुखद है। ऐसे में सरकार को मनरेगा के क्षेत्र में लगाए जा रहे मशीनों के प्रयोग को कम करने के लिए ठोस पहल की जरूरत है।

3. भ्रष्टाचार– मनरेगा के क्षेत्र में सबसे दुखद पहलू भ्रष्टाचार को ही माना जाता है। अधिकांश समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में देखा जाता है जिसमें कई ऐसे घोटाले जिसमें जनप्रतिनिधि तथा अधिकारियों की संलिप्तता पाई जाती है। इस क्षेत्र में सरकार को ठोस कानून बनाने की जरूरत है ताकि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के द्वारा किये जा रहे घोटाले और मनमानी को रोका जा सके।

संदर्भ

1. भारत सरकार, मनरेगा रिपोर्ट 2000–2017.
2. जावेद अख्तर, एस.एम. (2012) : मनरेगाः टूल फॉर सस्टनेवल इनभॉयरमेंट, कुरूक्षेत्र, जून, पृ. 38–44.
3. महीपाल (2013) : इम्पेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ रूरल पीपुल, कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, पृ. 20–23.
4. नरेगा ऑपरेशनल गाइडलाइन 2008, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एण्ड पंचायती राज.
5. अरोड़ा, डॉ. किरण (2015) : महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट – एन ओभरव्यू, ईश्यू एण्ड चैलेंज, ग्लोबल जर्नल ऑफ मल्टीडिसीप्लनरी स्टडीज, 4.4:118–122.
6. http//:www.nrega.nic.in
7. http//:www.rural.nic.in